डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) चौहटन मुकाम चौहटन

व इजलास ***श्री भागीरथ राम ॥, आर.ए.एस.***

अनवान

वादीनी – 1.अमरूदेवी पत्नि स्व.हीराराम, जाति जाट
निवासी आजाद नगर (नेतराड़), तहसील चौहटन

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.लछाराम 2.वनाराम पि. लिखमाराम 3.भगाराम पुत्र हीराराम
4.देराजराम पुत्र मूलाराम, जाति जाट,
निवासी आजाद नगर (नेतराड़),तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।
5.शाखा प्रबन्धक बी.ओ.बी.शाखा चौहटन
6.शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई.चौहटन
7.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – वादीनी वकील – श्री ठाकराराम
प्रतिवादीगण वकील – एकतरफा

वाद बाबत 88,92,40,188 RT Act.

मुकदमा नं. 04/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री ठाकराराम** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री** ....एड . मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर **मौजा नेतराड़, तहसील चौहटन में खसरा सं. 1143/30 रकबा 37.10 बीघा, खसरा सं. 1158/163 रकबा 38.11 बीघा एवं मौजा आजाद नगर (नेतराड़) में खसरा सं. 148 रकबा 00.08 बीघा, खसरा सं. 746/149 रकबा 107.10 बीघा, के आये हुए है।** उक्त विवादित भूमि में वादीनी को 1/12 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। लगातार शेष पृष्ट पर.......................... बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक .... को अदा करे।

वसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 02.09.2021 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.................................
ओहदा ....

मुदई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्चीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			[illegible] ...ना वक... ...र खर्चा [illegible] मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:49:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 04/2020

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथ राम ।।, आर.ए.एस

अनवान

वादीनी – 1.अमरूदेवी पत्नि स्व.हीराराम, जाति जाट
निवासी आजाद नगर (नेतराड़), तहसील चौहटन

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.लछाराम 2.वनाराम पि. लिखमाराम 3.भगाराम पुत्र हीराराम
4.देराजराम पुत्र मूलाराम,
जाति जाट, निवासी आजाद नगर (नेतराड़)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।
5.शाखा प्रबन्धक बी.ओ.बी.शाखा चौहटन
6.शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई.चौहटन
7.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – वादीनी वकील – श्री ठाकराराम
प्रतिवादीगण वकील – एकतरफा

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन

अन्तर्गत धारा 88,92,40,188 RT Act. RT Act.

निर्णय

दिनांक :– 02.09.2021

वादीनी के वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 से 4 के नाम से खातेदारी में दर्ज भूमि मौजा नेतराड़, तहसील चौहटन में खसरा सं. 1143/30 रकबा 37.10 बीघा, खसरा सं. 1158/163 रकबा 38.11 बीघा एवं मौजा आजाद नगर (नेतराड़) में खसरा सं. 148 रकबा 00.08 बीघा, खसरा सं. 746/149 रकबा 107.10 बीघा, आई हुई है। जिसमें वादीनी का 1/12 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का बनता है।

वादीनी एवं प्रतिवादी सं. 03 के वालिद हीराराम थे। हीराराम के फौत होने पर स्व. हीराराम के वादीनी एवं प्रतिवादी सं. 03 विधिक वारिशान थे। हीराराम के फौत होने पर प्रतिवादी सं. 01 से 04 ने वादीनी की उपरि[illegible] छिपाते हुए उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण सं. 1193 दिनांक [illegible] एवं ग्राम पंचायत नेतराड़ से मिलकर प्रतिवादी सं. 03 अकेले के नाम खुलवा[illegible] तथा ग्राम पंचायत से तस्दीक करा दिया। जिसके आधार पर राजस्व रेकर्ड में स्व.हीराराम के हिस्से की आराजी प्रतिवादी सं.03 के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:49:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

अंकित हो गई। इस प्रकार वादीनी स्व.हीराराम की वैध वारिस होने के बावजूद भी खातेदारी अधिकारों से वंछित रह गई।

ग्राम अमरावास (कोनरा) में खेत खसरा सं. 334 व 344 में हीराराम के फौत होने पर वैध वारिसान के नाम नामान्तरकरण खोला गया जिसमें प्रतिवादी सं.03 के साथ वादीनी का नाम दर्ज है।

विधि का सारभूत सिद्धान्त है कि एक भूमिधारी के देहान्त होने पर उसकी खातेदारी जोत उसकी विधवा, उसके जीवित पुत्रों व पुत्रियों पर धारित होती है, परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने विधि के इस सिद्धान्त की अनदेखी कर नामान्तरकरण प्रतिवादी सं. 03 के पक्ष में तस्दीक किया जो गलत है।

उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में वादीनी का मौके पर अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त है, रहवासी ढाणियां, पशुबाड़ा आदि बने हुए है परन्तु राजस्व रेकर्ड में हिस्सा का अंकन नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण वादीनी को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने एवं वादीनी के हिस्से की भूमि का बेचान सरजोर व्यक्तियों को करने पर उतारू है। यदि प्रतिवादीगण अपने इस मकसद में कामयाब हो जाते है तो वादीनी को अपूर्णिय छति होगी एवं उसके हितों पर कुठाराघात होगा। अतः उक्त वादग्रस्त भूमि मौजा नेतराड़, तहसील चौहटन में खसरा सं. 1143/30 रकबा 37.10 बीघा, खसरा सं. 1158/163 रकबा 38.11 बीघा एवं मौजा आजाद नगर (नेतराड़) में खसरा सं. 148 रकबा 00.08 बीघा, खसरा सं. 746/149 रकबा 107.10 बीघा, के संबंध में पारित नामान्तरकरण सं. 1193 दिनांक 20.12.1986 को प्रारम्भ से ही शून्य मानते हुए उपरोक्त भूमि में वादीनी अपने 1/12 हिस्सा को खातेदारी में घोषित करवा कर राजस्व रेकर्ड में अंकन करवाना चाहती है जिस हेतु वाद पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण सम्मन तामिल बावजूद अनुपस्थित, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीनी वकील ने वादीनी साक्ष्य में PW-1 वादीनी अमरूदेवी का शपथ पत्र तथा PW-2 जगमालराम पुत्र दुर्गाराम का शपथ पत्र एवं इसके समर्थन में लिखित दस्तावेजों में Exp-1 जमाबन्दी मौजा नेतराड़ संवत 2071–2[illegible], Exp-2 जमाबन्दी मौजा आजाद नगर संवत् 2074–2077, Exp-3 नकल नामान्तरकरण सं. [illegible]3 मौजा नेतराड़ न्यायालय में Exibit करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:49:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन
सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

पत्रावली पेश हुई। वादीनी वकील की बहस सुनी गई। वादीनी वकील ने बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया उपरोक्त वादग्रस्त भूमि मौजा नेतराड़, तहसील चौहटन में खसरा सं. 1143/30 रकबा 37.10 बीघा, खसरा सं. 1158/163 रकबा 38.11 बीघा एवं मौजा आजाद नगर (नेतराड़) में खसरा सं. 148 रकबा 00.08 बीघा, खसरा सं. 746/149 रकबा 107.10 बीघा में वादीनी एवं प्रतिवादी सं. 03 के वालिद हीराराम के फौत होने पर पारित नामान्तरकरण सं. 1193 में प्रतिवादी सं.03 के साथ साथ वादीनी का नाम भी अंकन होना चाहिए था लेकिन प्रतिवादी सं. 01 से 04 ने वादीनी की उपस्थिति को छिपाते हुए हीराराम के फौत होने पर प्रतिवादी सं. 03 अकेले के नाम नामान्तरकरण खुलवाया तथा ग्राम पंचायत से तस्दीक करा दिया। जिसके आधार पर राजस्व रेकर्ड में स्व.हीराराम के हिस्से की आराजी प्रतिवादी सं.03 के नाम अंकित हो गई। इस प्रकार वादीनी स्व.हीराराम की वैध वारिस होने के बावजूद भी खातेदारी अधिकारों से वंछित रह गई। अतः नामान्तरकण सं. 1193 वादिनी के लिए प्रारम्भ से ही शून्य है।

वादीनी वकील में बहस में निवेदन किया है मौजा अमरावास (कोनरा) के खसरा सं. 334 व 344 में हीराराम के फौत होने पर वैध वारिसान के नाम नामान्तरकरण खोला गया जिसमें प्रतिवादी सं.03 के साथ वादीनी का नाम दर्ज है। जिससे स्पष्ट होता है कि वादीनी स्व. हीराराम की वैध वारिश है।

वादीनी वकील में बहस में आगे कथन किया कि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम संख्यांक 30) 17 जून 1956 के बिन्दु सं. 8 में पुरूष की दशा में उतराधिकार के साधारण नियम में निर्वसीय मरने वाले हिन्दू पुरूष की सम्पति प्रथमतः उन वारिसों को जो अनूसची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट संबन्धी है जिसमें उसकी विधवा उसकी वैध वारिस है।

विधि का सारभूत सिद्धान्त है कि एक भूमिधारी के देहान्त होने पर उसकी खातेदारी जोत उसकी विधवा, उसके जीवित पुत्रों व पुत्रियों पर धारित होती है, परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने विधि के इस सिद्धान्त की अनदेखी कर नामान्तरण प्रतिवादी सं. 03 के पक्ष में तस्दीक किया जो गलत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:49:45 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में वादिनी का मौके पर अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त है, रहवासी ढाणियां, पशुबाड़ा आदि बने हुए है परन्तु राजस्व रेकर्ड में हिस्सा का अंकन नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण वादीनी को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने एवं

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक)चौहटन

वादीनी के हिस्से की भूमि का बेचान सरजोर व्यक्तियों को करने पर उतारू है। यदि प्रतिवादीगण अपने इस मकसद में कामयाब हो जाते है तो वादीनी को अपूर्णिय छति होगी एवं उसके हितों पर कुठाराघात होगा। अतः उक्त वादग्रस्त भूमि मौजा नेतराड़, तहसील चौहटन में खसरा सं. 1143/30 रकबा 37.10 बीघा, खसरा सं. 1158/163 रकबा 38.11 बीघा एवं मौजा आजाद नगर (नेतराड़) में खसरा सं. 148 रकबा 00.08 बीघा, खसरा सं. 746/149 रकबा 107.10 बीघा, के संबंध में पारित नामान्तरकरण सं. 1193 दिनांक 20.12.1986 को प्रारम्भ से ही शून्य मानते हुए उपरोक्त भूमि में वादीनी को 1/12 हिस्सा की खातेदार घोषित की जावे।

वादीनी वकील द्वारा अपने वाद के संबंध निम्न न्याय दृष्टान्त पेश किये गये।

1. 2014–15 (Supp.) RRT 417
2. 2014(2) RRT 1311

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि मौजा नेतराड़, तहसील चौहटन में खसरा सं. 1143/30 रकबा 37.10 बीघा, खसरा सं. 1158/163 रकबा 38.11 बीघा एवं मौजा आजाद नगर (नेतराड़) में खसरा सं. 148 रकबा 00.08 बीघा, खसरा सं. 746/149 रकबा 107.10 बीघा में वादीनी एवं प्रतिवादी सं. 03 के वालिद हीराराम के फौत होने पर पारित नामान्तरकरण सं. 1193 में प्रतिवादी सं.03 के साथ साथ वादीनी का नाम भी अंकन होना चाहिए था लेकिन प्रतिवादी सं. 01 से 04 ने वादीनी की उपस्थिति को छिपाते हुए हीराराम के फौत होने पर प्रतिवादी सं. 03 अकेले के नाम नामान्तरकरण खुलवाया तथा ग्राम पंचायत से तस्दीक करा दिया। जिसके आधार पर राजस्व रेकर्ड में स्व.हीराराम के हिस्से की आराजी प्रतिवादी सं.03 के नाम अंकित हो गई। इस प्रकार वादीनी स्व.हीराराम की वैध वारिस होने के बावजूद भी खातेदारी अधिकारों से वंछित रह गई। अतः नामान्तरकण सं. 1193 वादिनी के लिए प्रारम्भ से ही शून्य है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम संख्यांक 30) 17 जून 1956 के बिन्दु सं. 8 में पुरूष की दशा में उतराधिकार के साधारण नियम में निर्वसीय मरने वाले हिन्दू पुरूष की सम्पत्ति प्रथमतः उन वारिसों को जो अनूसची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट संबन्धी है जिसमें उसकी विधवा उसकी वैध [illegible] तथा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में 1/12 हिस्सा की हकदार है। अतः उ[illegible] को 1/12 हिस्सा की खातेदार घोषित करना न्यायालय के मतानुसार न्यायोचित प्र[illegible] होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:49:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

अतः न्यायाहित में वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर **मौजा नेतराड़, तहसील चौहटन में खसरा सं. 1143/30 रकबा 37.10 बीघा, खसरा सं. 1158/163 रकबा 38.11 बीघा एवं मौजा आजाद नगर (नेतराड़) में खसरा सं. 148 रकबा 00.08 बीघा, खसरा सं. 746/149 रकबा 107.10 बीघा** भूमि में वादीनी को 1/12 हिस्सा का खातेदार में घोषित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) सत्यमेव जयते चौहटन

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भागीरथ राम ।।)
सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रेक) चौहटन

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:49:45 IST
Reason: SelfAttested